

प्रेष,

श्री आर्जुन नांगी,
संयुक्त शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

शिक्षा
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा सेक्ट 2 इन्डियन स्ट्रीट,
पुणे विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुदान

संज्ञक: दिनांक: 10 जून, 1999

विषय:- आर्जुन विद्या मन्दिर तुलानपुर को सी०बी०सी०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु आवासीय प्रमाण पत्र दिवा जाने ।

संदर्भ

उपर्युक्त विषय पर जो यह कदम का निर्देश हुआ है कि आर्जुन विद्या मन्दिर तुलानपुर को सी०बी०सी०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु आवासीय प्रमाण पत्र दिवे जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आवासीय नई है :-

- 11) विद्यालय की पर्यवेक्षण कर्मियों का समय समय पर स्वीकृतन कराया जायेगा ।
- 12) विद्यालय की पुस्तक खरीद में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14) संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से उच्च शैक्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्ति कार दि इन्डियन स्ट्रीट इन्वॉल्वमेंट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 15) संस्था के अधिक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिवे जायेंगे ।
- 16) कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञात क्षेत्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

Principal
Maharaja Vidy Mandir
Yogipuram (Ahimane)
Gulianpur - 228001

